19/25

प्रार्थी	बनाम	
अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी		वकील:-

आदेश पत्रक

वकील :-	श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0		विविध संदर्भ
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		
20.06.2025	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्व अप्रार्थी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की जर्ये सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25/6/25 को पेश हो।		
25/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पेशकार सरकार उप0। पेशकार सरकार के जवाब/रिपोर्ट अप्राप्त। पत्रावली वास्ते जवाब/रिपोर्ट TDR [illegible] 27/6/25 को पेश हो।		
27/6/25	पीठासीन अधिकारी राजकार्य ड्यूटी में रहने से पूर्ववत दिनांक 02/7/25 को प्रस्तुत हों। उप खण्ड अधिकारी बारां		
2-7-25	पीठासीन अधिकारी राजकार्य के कार्य में रहने से पूर्ववत दिनांक 4-7-25 को प्रस्तुत हों। उप खण्ड अधिकारी बारां		
04/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व पेशकार सरकार उप0। तहसीलदार बारां के रिपोर्ट प्राप्त जो संलग्न पत्रावली है। बहस वकील प्रार्थीगण पेशकार सुनी गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक लिखाया जाकर शा0 अ0 [illegible] निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बारां को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद दाखिल अभिलेख [illegible] आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी बारां		

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 19/25
दायरा दिनांक :– 20.06.2025
निर्णय दिनांक :– 04/7/2025

उनवान

1. अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी आयु 58 वर्ष पुत्री श्री सूरजमल पत्नि श्री हिरालाल नागर जाति धाकड निवासी बामला तहसील व जिला बारां, हाल मुकाम 473–ए इन्द्राविहार कोटा जिला कोटा राज0

प्रार्थीया–

बनाम

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार साहब, बारां जिला बारां (राज0)

अप्रार्थी–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट
निर्णय दिनांक :– 04/7/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी एड0 – प्रार्थीया
2. पेरोकार सरकार – अप्रार्थी

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट राजस्व रिकार्ड नाम दुरूस्ती हेतु अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम खैराली तहसील जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या नया 13 पुराना 11 से खसरा नं0 223 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 224 रकबा 0.57 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 2.09 हे0, खसरा नं0 491 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 492 रकबा 0. 06 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 496 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 595 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 605 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 608 रकबा 0.04 हे0, कुल 10 किता कुल रकबा 3.15 हे0 स्थित है। उक्त आराजियात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम आवेदन की विषयवस्तु है। प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर सहवन से प्रार्थी क्रम 1 का नाम अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल है जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है। मद् नं0 1 में वर्णित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने व किसान समान निधि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में मिलान न होने से के.सी. सी बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी क्रम 1 राजस्व रेकार्ड में अंकित नाम अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान परन अपना नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल दर्ज करवा पाने के वैधानिक

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीया क्रम 1 का बोलता नाम अशोक कुमारी भी है तथा सरकारी दस्तावेज में वास्तविक नाम अरूणा नागर अंकित है। इस कारण राजस्व रेकार्ड में उक्त नाम को दुरूस्त करवा कर बोलते नाम के साथ वास्तविक नाम को उर्फ लगाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से उसका नाम दुरूस्त करने को निवेदन किया। अंतिम बार दिनांक 25.05.2025 को प्रार्थीया द्वारा राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से निवेदन किया किन्तु उन्होने प्रार्थीया के नाम पते राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। इसलिये आवेदन का कारण दिनांक 25.05.2025 को बारां तहसील क्षेत्र में पैदा हुआ। विवादित आराजियात वाके खैराली तहसील बारां में स्थित है इस कारण माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थीया अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीया अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल साकिन बामला खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खैराली सम्वत 2073–2076, खाता संख्या नया 13 पुराना खाता संख्या 11, छायाप्रति आधार कार्ड अरूणा नागर, पेन कार्ड, भारत गण राज्य, नवज्योति प्रिंटिग फ्रेस, दैनिक भास्कर बिल, शपथ पत्र अरूणा नागर, राजस्थान पत्रिका अखबार, स्थायी लेखा संख्या कार्ड, पेश किया।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यो को दोहराया गया प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी वाके ग्राम खैराली तहसील जिला बारां राज0 में आराजी खाता संख्या नया 13 पुराना 11 से खसरा नं0 223 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 224 रकबा 0.57 हे0, खसरा नं0 420 रकबा 2.09 हे0, खसरा नं0 491 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 492 रकबा 0.06 हे0, खसरा नं0 493 रकबा 0.08 हे0, खसरा नं0 496 रकबा 0.03 हे0, खसरा नं0 595 रकबा 0.11 हे0, खसरा नं0 605 रकबा 0.07 हे0, खसरा नं0 608 रकबा 0.04 हे0, कुल 10 किता कुल रकबा 3.15 हे0 स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सुरजमल के स्थान पर सहवन से प्रार्थी क्रम 1 का नाम अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल गलत दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल है जो प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है। उक्त आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की उक्त आराजी पर के.सी.सी बनवाने व सरकारी लाभ प्राप्त करने व किसान समान निधि प्राप्त करने से वंचित हो रही है। बैंक द्वारा प्रार्थीया का नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेज में मिलान न होने से के.सी.सी बनाने से साफ इन्कार कर दिया है। इस कारण प्रार्थीया को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है इसलिये प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद् नं0 1 में अंकित आराजियात के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी क्रम 1 राजस्व रेकार्ड में अंकित नाम अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर अपना नाम अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल दर्ज करवा पाने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थीया क्रम 1 का बोलता नाम अशोक कुमारी भी है तथा सरकारी दस्तावेज में वास्तविक नाम अरूणा नागर अंकित है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

इस कारण राजस्व रेकार्ड में उक्त नाम को दुरूस्त करवा कर बोलते नाम के साथ वास्तविक नाम को उर्फ लगाकर उक्त आराजी के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकित करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया द्वारा कई बार राजस्व कर्मचारियों से उसका नाम दुरुस्त करने को निवेदन किया। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त आराजियात राजस्व रिकार्ड में जमाबन्दी में प्रार्थीया अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल अंकित नाम के स्थान पर सही नाम प्रार्थीया अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल साकिन बामला खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गयी। पत्रावली एव रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, बारां द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुताबिक जमाबन्दी राजस्व रिकार्ड ग्राम खैराली के खसरा संख्या 13 में किता 10 रकबा 3.15 हे0, खातेदार अशोक कुमारी पुत्री सुरजमल जाति धाकड सा0 बामला में नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त सम्बन्ध मे ग्राम बामला में उपस्थित होकर ग्रामवासियान से जानकारी ली गई। ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल एवं अरूणा नागर पुत्री सूरजमल जाति धाकड दोनों नाम एक ही महिला के है। अतः मुताबिक संलग्न दस्तावेज (आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं अन्य) व ग्रामवासियान के आधार पर अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल जाति धाकड तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम खैराली की आराजियात वर्तमान खाता संख्या नया 13, पुराना खाता संख्या 11. ख0नं0 223,224,420,491,492,493,496,595,605,608 कुल किता 10 कुल रकबा 3.15 है0 ग्राम खैराली तहसील व जिला बारां की आराजियात में प्रार्थीया का नाम अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल के स्थान पर अरूणा नागर उर्फ अशोक कुमारी पुत्री सूरजमल सा0 बामला दर्ज करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बाराँ